संख्या–BSDM/KYP/ पत्राचार – 182/2023-- 2426

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

<u>बिहार कौशल विकास मिशन</u>

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कुशल युवा कार्यक्रम के संचालक एजेंसी।

पटना, दिनांकः– 10.11.2025

विषयः– कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित संशोधित आदेश।

प्रसंग :– पत्रांक–BSDM/KYP/ पत्राचार – 182/2023-1950, दिनांक 25 / 08 / 2025

महाशय / महाशया,

राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्रों का विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के क्रम में त्रुटियॉ पाये जाने पर केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से आदेश निर्गत किये जाते है। पूर्व में पत्रांक BSDM/SDI-25/2016-748 के द्वारा कार्रवाई से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत की गयी थी। पूर्व में निर्गत आदेश को संशोधित कर एवं विसंगति को श्रेणीवद्ध करते हुए इसकी गंभीरता का क्रम निर्धारित कर निम्नलिखित निर्णय लिये गए है :–

1. विसंगति श्रेणी की गंभीरता का क्रम :–
   - लाल (RED) सर्वाधिक गंभीर विसंगति ।
   - पीला (YELLOW): मध्यम गंभीरता की विसंगति ।
   - NA: इसे विसंगति नहीं माना जाएगा, बल्कि सुधार हेतु सुझाव (अच्छा होने योग्य सुविधा) के रूप में गिना जाएगा।
   - हरा (GREEN) कोई विसंगति नहीं पाई गई।

2. किसी भी निरीक्षण में केंद्र का रंग निर्धारण :–

किसी भी केंद्र के निरीक्षण में उसका रंग उसी सर्वाधिक गंभीर विसंगति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो निरीक्षण के क्रम में पाई गई हो।
उदाहरण – यदि किसी केंद्र पर 4 पीली श्रेणी की विसंगतियाँ और 1 लाल श्रेणी की विसंगति पाई जाती है तो उस निरीक्षण के लिए केंद्र का रंग लाल दर्शाया जाएगा।

"लाल (RED)" श्रेणी में चिह्नित केंद्र

जो भी केंद्र "लाल (RED)" श्रेणी में चिह्नित होंगे, उन पर बीएसडीएम (BSDM) की ओर से तुरंत (रिपोर्ट प्राप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर) स्पष्टीकरण नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया

जाएगा। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी (DEO), एसपीएमयू (SPMU) और जिला कौशल प्रबंधक (DSM) को भी भेजी जाएगी। साथ ही ऐसे केंद्रों में नए बैच के नामांकन/प्रवेश पर तुरंत रोक दी जाएगी (जहाँ लागू हो)।

a. केन्द्र से प्राप्त जवाब के आलोक में BSDM द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

b. दंडात्मक कार्रवाई (Penal Action)

1. धोखाधड़ी/प्रतिरूपण (Fraudulent Practices/Impersonation) :–

- प्रशिक्षण केंद्र का नामांकन (Enrolment) अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और केन्द्र को स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
- यदि 7 दिनों के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो केंद्र को स्थायी रूप से निरस्त (Permanently Cancelled) कर दिया जाएगा।

2. सीसीटीवी फुटेज/बिना सूचना केंद्र का बंद होना (CCTV Footage/Center Closed Without Information) :–

- प्रशिक्षण केंद्र को स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
- तय समय–सीमा के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो केंद्र के इनवॉइस (Invoice) से 30% कटौती की जाएगी।

"पीले (YELLOW)" श्रेणी में चिह्नित केन्द्र

सभी केन्द्र जो "पीले (YELLOW)" श्रेणी में आते हैं, उन्हें निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों (Discrepancies) की सूचना बीएसडीएम (BSDM) द्वारा भेजी जाएगी। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी (DEO), एसपीएमयू (SPMU) तथा जिला कौशल प्रबंधक (DSM) को भी भेजी जाएगी। केन्द्र को 7 दिनों के अंदर अनुपालन (compliance) सुनिश्चित करना होगा।

a. यदि अगले माह के निरीक्षण में केन्द्र पुनः "पीले (YELLOW)" श्रेणी में पाया जाता है, तो पुनः सूचना जारी की जाएगी। इसमें उस माह की विसंगतियों के साथ यह भी उल्लेख होगा कि केन्द्र पिछले निरीक्षण में भी "पीले" श्रेणी में था। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियो, सबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, एसपीएमयू तथा जिला कौशल प्रबंधक को भेजी जाएगी।

b. यदि उसके अगले माह में भी केन्द्र "पीले (YELLOW)" श्रेणी में पाया जाता है (अर्थात् लगातार 3 निरीक्षणों में पीली श्रेणी), तो BSDM की ओर से स्पष्टीकरण नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया जाएगा। इसकी प्रति बीएसडीएम अधिकारियों, संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, एसपीएमयू तथा जिला कौशल प्रबंधक को भेजी जाएगी।

c. यदि समय सीमा के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो उस केन्द्र पर 30% दण्ड (Penalty) लगाया जाएगा। यह दण्ड उन सभी महीनों के बिल (Invoice) पर लागू होगा जिनमें केन्द्र "पीली" श्रेणी में पाया गया था। यदि ऐसे किसी बिल का भुगतान पहले ही हो चुका है, तो उतनी राशि को अगले देय बिल से समायोजित किया जाएगा।

d. यदि किसी केन्द्र को मूल्याकन अवधि/संबंधित वर्ष (इस प्रक्रिया की अधिसूचना तिथि से) में कम से कम 50% महीनों में "पीली (YELLOW)" श्रेणी में पाया जाता है, तो ऐसे केन्द्र अगले नवीनीकरण (renewal cycle) के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन के दिनांक 25/03/2021 को सम्पन्न 15वीं शाषी पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी प्रकार के कौशल

विकास केन्द्रों में Franchisee संबंधित में मामलों के लिए सभी आवेदक को AMNESTY अवधि में आवेदन देने का समय दिया गया था। वर्तमान में, बिना पूर्वानुमति के Franchisee mode में चल रहे KYP केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/- 7/11/25

(राजेश भारती)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।
बिहार, पटना।